"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 360] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2009—अग्रहायण 26, शक 1931

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2009

आदेश

क्रमांक/ एफ-173/रानिआ/न. पा./09/2595.— राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 173/तीन/नगरीय निकाय/रानिआ/2009/1553 दिनांक 22 अक्टूबर 2009 में मतदाताओं को अपने पहचान स्थापित करने हेतु दस्तावेजों की सूची विहित किया गया है. छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी नगरपालिका आम/उपनिर्वाचन 2009 में मतदान के समय निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुगम बनाने के लिए आयोग द्वारा पूर्व निर्धारित 15 दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज भी शामिल किये जाते हैं.

1. फोटोयुक्त राशन कार्ड.

2. बार कौंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र.

3. माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची.

डी. डी. सिंह,
सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.